

रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी/CIRC-01/2019-20  
09 दिसंबर, 2019



नाम एवं पता अंग्रेजी पत्रानुसार

महोदया/महोदय,

**पुनर्वित्त दिशा-निर्देशों में संशोधन  
पुनर्वित्त परिपत्र सं. 01/2019-20**

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न और मध्यम आय वर्ग के आवास ऋण की जरूरतों को पूरा करने में ऋणदाताओं को समर्थन और प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर विभिन्न पुनर्वित्त योजनाएं परिचालित कर रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत पुनर्वित्त प्रदान करने और उसमें किसी भी संशोधन हेतु दिशानिर्देश, समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जा रहे हैं।

2. बैंक के पुनर्वित्त पोर्टफोलियो की समीक्षा करने पर, बैंक के अधिदेश को पूरा करने हेतु पुनर्वित्त दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन किए गए हैं और उक्त को नीचे विस्तार में दिया गया है:

2.1.क प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को संस्वीकृत पुनर्वित्त सीमा रा.आ.बैंक द्वारा जारी संस्वीकृत पत्र की तिथि से एक वर्ष हेतु वैध रहेगी। पूर्व में उपलब्ध, राष्ट्रीय आवास बैंक की सुविधा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक ऋणदाता संस्थान उपयोग के लिए शेष रह गयी सीमा को अगले वित्त वर्ष हेतु बढ़ा सकते थे, को समाप्त किया जाता है।

2.1.ख प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को संस्वीकृत पत्र प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर रा.आ.बैंक को संस्वीकृति के नियमों और शर्तों के लिए अपनी स्वीकृति संप्रेषित करनी होगी और संस्वीकृत सीमा की स्वीकृति की तिथि से 3 महीने के भीतर पहला संवितरण आहरित करना होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर यदि प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा संस्वीकृति के संबंध में स्वीकृति नहीं दी जाती है तो स्वीकृति को निरस्त समझा जाएगा।

2.2 सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के मामले में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित पुनर्वित्त की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त, जिस अवधि के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया जाना है वह विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम अवधियों पर आधारित होगा।

2.3 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं को प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ, नीति आयोग (संदर्भ हेतु योग्य जिलों की सूची अनुलग्नक 'क' में दी गयी है) द्वारा चिन्हित योग्य जिलों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं पुनर्वित्त ऋण के लिए उदारीकृत (नियमित) पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत 10 बीपीएस की एक नई ब्याज राहत की भी शुरुआत की गयी है।

2.4 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले ऋण बढ़ाने के लिए (प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी की सांविधिक शहरों के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य क्षेत्र), प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है कि किफायती आवास निधि योजना के तहत पुनर्वित्त हेतु दावा प्रस्तुत करते समय दावा की गई राशि का कम से कम एक तिहाई एएचएफ- ग्रामीण के अधीन हो (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के एवज में दावा किया गया पुनर्वित्त)।

3. प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को सूचित किया जाता है कि रा.आ.बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी परिपत्र(परिपत्रों)/दिशानिर्देश (दिशानिर्देशों) का पूरी तरह पालन करें।

भवदीय,

(के. चक्रवर्ती)

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन विभाग

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय  
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030  
वेबसाइट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in

**Statutory Body under the Government of India**  
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003  
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030  
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

**“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”**

### Districts under Aspirational Districts Programme

S.No.	State	District	S.No.	State	District
1	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	60	Karnataka	Raichur
2	Andhra Pradesh	Vizianagaram	61	Karnataka	Yadgir
3	Andhra Pradesh	Y.S.R.	62	Kerala	Wayanad
4	Arunachal Pradesh	Namsai	63	Madhya Pradesh	Barwani
5	Assam	Baksa	64	Madhya Pradesh	Chhatarpur
6	Assam	Barpeta	65	Madhya Pradesh	Damoh
7	Assam	Darrang	66	Madhya Pradesh	Guna
8	Assam	Dhubri	67	Madhya Pradesh	Khandwa (East Nimar)
9	Assam	Goalpara	68	Madhya Pradesh	Rajgarh
10	Assam	Hailakandi	69	Madhya Pradesh	Singrauli
11	Assam	Udalguri	70	Madhya Pradesh	Vidisha
12	Bihar	Araria	71	Maharashtra	Gadchiroli
13	Bihar	Aurangabad	72	Maharashtra	Nandurbar
14	Bihar	Banka	73	Maharashtra	Osmanabad
15	Bihar	Begusarai	74	Maharashtra	Washim
16	Bihar	Gaya	75	Manipur	Chandel
17	BIHAR	Jamui	76	Meghalaya	Ribhoi
18	Bihar	Katihar	77	MIZORAM	Mamit
19	Bihar	Khagaria	78	Nagaland	Kiphire
20	Bihar	Muzaffarpur	79	Odisha	Balangir
21	Bihar	Nawada	80	Odisha	Dhenkanal
22	BIHAR	Purnia	81	Odisha	Gajapati
23	Bihar	Sheikhpura	82	Odisha	Kalahandi
24	Bihar	Sitamarhi	83	Odisha	Kandhamal
25	Chhattisgarh	Bastar	84	Odisha	Koraput
26	Chhattisgarh	Bijapur	85	Odisha	Malkangiri
27	Chhattisgarh	Dakshin Bastar Dantewada	86	Odisha	Nabarangapur
28	Chhattisgarh	Kondagaon	87	Odisha	Nuapada
29	Chhattisgarh	Korba	88	Odisha	Rayagada
30	Chhattisgarh	Mahasamund	89	Punjab	Ferozpur
31	Chhattisgarh	Narayanpur	90	Punjab	Moga
32	Chhattisgarh	Rajnandgaon	91	Rajasthan	Baran
33	Chhattisgarh	Sukma	92	Rajasthan	Dhaulpur
34	Chhattisgarh	Uttar Bastar Kanker	93	Rajasthan	Jaisalmer
35	Gujarat	Dohad	94	Rajasthan	Karauli
36	Gujarat	Narmada	95	Rajasthan	Sirohi
37	Haryana	Mewat	96	Sikkim	West District
38	Himachal Pradesh	Chamba	97	Tamil Nadu	Ramanathapuram
			98	Tamil Nadu	Virudhunagar
			99	Telangana	Asifabad (Adilabad)
			100	Telangana	Bhoopalapalli (Warangal)



Appendix A

39	Jammu & Kashmir	Baramula	101	Telangana	Bhadradi-Kothagudem
			102	Tripura	Dhalai
40	Jammu & Kashmir	Kupwara	103	Uttarakhand	Hardwar
			104	Uttarakhand	Udham Singh Nagar
41	Jharkhand	Bokaro	105	Uttar Pradesh	Bahraich
42	Jharkhand	Chatra	106	Uttar Pradesh	Balrampur
43	Jharkhand	Dumka	107	Uttar Pradesh	Chandauli
44	Jharkhand	Garhwa	108	Uttar Pradesh	Chitrakoot
45	Jharkhand	Giridih	109	Uttar Pradesh	Fatehpur
46	Jharkhand	Godda	110	Uttar Pradesh	Shrawasti
47	Jharkhand	Gumla	111	Uttar Pradesh	Siddharthnagar
48	Jharkhand	Hazaribagh	112	Uttar Pradesh	Sonbhadra
49	Jharkhand	Khunti			
50	Jharkhand	Latehar			
51	Jharkhand	Lohardaga			
52	Jharkhand	Pakur			
53	Jharkhand	Palamu			
54	Jharkhand	Pashchimi Singhbhum			
55	Jharkhand	Purbi Singhbhum			
56	Jharkhand	Ramgarh			
57	Jharkhand	Ranchi			
58	Jharkhand	Sahibganj			
59	Jharkhand	Simdega			

